राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1354/2025

रविन्द्र सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, आयुक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भगवत सिंह चौधरी, अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता (मोने.) के पद पर संभाग नगर जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहा. अभि. नगर उपखण्ड कल्याणपुर, बाड़मेर में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में वर्ष 2015 से 2018 तक सिवाना, बाड़मेर में पदस्थापित रह चुका है। अपीलार्थी की पत्नी तकनीकी सहायक के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर में कार्यरत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति रही है कि यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो, तो उन्हें एक ही स्थान या आस–पास पदस्थापित रखा जावे। अपीलार्थी की

पत्नी गर्भवती है एवं अपीलार्थी की माताजी वृद्धावस्था में है, जो कई बीमारियों से पीड़ित है। उनका यह भी तर्क है कि भरतपुर एवं डीग जिले में सहायक अभियन्ता के कई पद रिक्त है और प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो किसी एक पद पर पदस्थापित कर सकता है। अपीलार्थी के स्थानान्तरित स्थान कल्याणपुर, बाड़मेर दर्शाया गया है, जबकि कल्याणपुर, बालोतरा जिले में आता है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानानतरण संभाग नगर जिला भरतपुर से सहा. अभि. नगर उपखण्ड कल्याणपुर, बाड़मेर में किया गया है। हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती महिला है। जिसकी देखभाल किया जाना आवश्यक है जिला भरतपुर एवं डीग में सहायक अभियन्ता के कई पद रिक्त होते हुए भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान भरतपुर से जिला बाड़मेर 500 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की माताजी वृद्धावस्था में गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई परिजन नहीं है। इस प्रकार हम मामले की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी रिक्त पदों को दर्शाते हुए तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों को एवं मामले की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी

को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जो आलोच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)